

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

348

अज अदालत

मुकाम

संज्ञक मुकदमा

2005/5633

नं.

बनाम

सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>27.02.2026 24/3/26</p>	<p>माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी निर्देश दिनांक 20.02.2026 की पालना में प्रार्थी अधिवक्ता का नाम उनके स्वर्गवास होने/अन्य कारण से मण्डल की कॉजलिस्ट में अंकन नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी पक्षकारों को कार्यालय से रजिस्टर्ड/एडी नोटिस जारी करें। पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 24/4/26 नियत है।</p> <p style="text-align: center;">Dml. रीडर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</p> <p style="text-align: center;">S.B. सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी को नोटिस देने के लिए प्रार्थी को कार्यालय से रजि. एडी नोटिस जारी करने गयी। रजि. एडी नोटिस के संचन होने के बाद भी प्रार्थी एवं प्रार्थी की पक्ष से कोई उपाक्षिप्त नहीं। प्रार्थी को बार-बार शवाके लगवाए गये, वाकजुड संचन कोई उपाक्षिप्त नहीं।</p> <p>अतः प्रकृत एडी संचन पर प्रार्थी-दाजरी, अदम्य प्रकृत में ख्याति किये जाते हैं। पत्रावली का संचन तत्काल प्रारम्भ होना चाहिए।</p> <p style="text-align: center;">आदेश खुले न्यायालय के सुनाने पर</p> <p style="text-align: right;">सदस्य राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</p>	<p>प्रार्थी को न्याय से रजि. एडी नोटिस जारी की 24/3/26</p> <p>अधिवक्ता को 24/4</p>